प्रेस नोट दिनाँक 13.04.2021

(1). दिनांक-12.04.2021 की रात्रि में श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के नेतृत्व में पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा बस स्टैण्ड कर्वी में बिना मास्क एवं 02 पहिया 04 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की गयी। चैकिंग के दौरान बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, ओवरलोड, प्रेशर हॉर्न, ओवरस्पीड तथा यातायात नियमों का पालन न करने वाले 114 वाहनों का चालान कर 548500/- रूपये पेन्डिंग ई चालान किया गया तथा बिना मास्क लगाए 68 व्यक्तियों से 12100 रुपये जुर्माना वसूला गया। ओवरलोड, बिना कागजात 12 ट्रकों/डंफरों को सीज किया गया। 03 दो पहिया वाहनों को बिना कागजात में सीज किया गया।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बिना मास्क एवं 02/04 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, ओवरलोड, प्रेशर हॉर्न, ओवरस्पीड तथा यातायात नियमों का पालन न करने वाले 85 वाहनों का चालान कर 116000/- रूपये पेन्डिंग ई चालान किया गया तथा बिना मास्क लगाए 92 व्यक्तियों से 11900रुपये जुर्माना वसूला गया। 01 दो पहिया वाहन को बिना कागजात में सीज किया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वाले 10 व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत लिया गया।

कुल कार्यवाही का विवरण-

1. 199 वाहनों से 664500 रुपये ई पेन्डिंग चालान
2. बिना मास्क 160 व्यक्तियों से 24000 रुपये जुर्माना
3. ओवरलोड/बिना कागजात 12 ट्रक/डम्फर सीज
4. 04 दो पहिया वाहन सीज
5. COVID-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 10 व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत

कर्वी बस स्टैंड में चेकिंग के दौरान उपजिलाधिकारी कर्वी श्री रामप्रकाश, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, जिला खनिज अधिकारी, ए आरटीओ, प्रभारी निरीक्षक कर्वी, यातायात प्रभारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनाँक-13.04.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री शैलेन्द्र कुमार राय अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप की उपस्थिति में थाना भरतकूप अन्तर्गत ग्राम खम्हरिया एवं बंदरी में तथा श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ की अध्यक्षता में श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी की उपस्थिति में अति संवेदनशील ग्राम सभा अमचूर नेरुवा, मजरा ठेका कोलान व भेड़ा में तथा श्री रविप्रकाश प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ की उपस्थिति में ग्राम कोनिया बरगढ़ में ग्रामवासियों के साथ जनचौपाल का आयोजन किया गया । प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा ग्राम चिल्लामाफी में जनचौपाल की ।महोदय द्वारा चौपाल के दौरान सभी प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करने हेतु बताते हुए मतदाताओं को किसी प्रकार का लोभ-प्रलोभन न देने, शराब, रुपया आदि का वितरण न करने के बारे में हिदायत दी गयी । मतदान व मतगणना के समय किसी के साथ कोई विवाद, धमकी तथा विजय जुलूस न निकालने हेतु हिदायत दी गयी । बिना किसी भेदभाव एवं पक्षपात के वोट डालने एवं पूर्णतः कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए मतदान संपन्न कराने हेतु पुलिस का सहयोग करने की अपील की गयी । ग्रामवासियों से अवैध शराब का सेवन न करने हेतु बताया गया तथा किसी भी प्रकार के अवैध कार्य की सूचना सम्बन्धित थाना को देने हेतु बताया गया । कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाने, हाथों को समय-समय पर सेनेटाइज करने तथा सोशल डिस्टेन्सिंग बनाए रखने हेतु बताया गया ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान में दिनाँक 12.04.2021 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना मानिकपुर में 10 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी चुनाव के दृष्टिगत रखते हुये अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 35 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(क). प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशीलचंद्र शर्मा द्वारा अभियुक्त 1. राजीव उर्फ चुंनकावन निवासी इटवा 2. गयाप्रसाद पुत्र बुद्धा कोल 3. श्यामलाल पुत्र सधुलिया 4. दिनेश पुत्र श्यामलाल निवासीगण कौबरा 5. कमल तिवारी पुत्र हीरालाल निवासी कुशल का पुरवा 6. जोध यादव पुत्र बच्चा निवासी महुलिया 7. बृजजीवन पुत्र राजाराम निवासी महुलिया 8. उमाकांत उर्फ छोटू पुत्र बाबादीन निवासी रामपुर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(ख). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचंद्र चौरसिया द्वारा अभियुक्त 1. संकेत मिश्रा पुत्र रामेश्वर निवासी कहटा पुरवा पतेरिया 2. अर्जुन सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी गढ़चपा 3. लवकुश पुत्र उदित नारायण पयासी 4. गोरा पाण्डेय पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी पतेरिया 5. छोटा उर्फ बबलू पुत्र कबीर उर्फ रामखेलावन 6. दीपक पुत्र मुन्ना उर्फ शिवदास 7. लाला पुत्र छोटा 8. मुनिया उर्फ वीरेंद्र पुत्र राजेंद्र प्रसाद 9. पुष्पेंद्र पुत्र मुन्ना उर्फ शिवदास 10. विनीत कुमार पुत्र बालकुमार निवासीगण पतेरिया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी

(ग). प्रभारी निरीक्षक मारकुंडी श्री रमेशचंद्र द्वारा अभियुक्त 1. रज्जू पुत्र चुनवाद 2. राजू पुत्र तीरथ निवासीगण इटवा डुडैला 3. संपत तिवारी पुत्र रामकरन 4. राजकुमार पुत्र ऋषिराम निवासीगण छोटी पाटिन 5.भागीरथ पुत्र भैरव निवासी इटवा डुडैला 6. दिनेश पुत्र शोभा निवासीगण इटवां डुडैला 7. बसंत लाल पुत्र रामकरन निवासी छोटी पाटन 8. अखिलेश 9.राघवेंद्र पुत्र उद्धव 10. उधव पुत्र कामता प्रसाद निवासीगण इटवां डुडैला 11. कमतइया पुत्र राम अवतार 12. सुशील पुत्र बद्री प्रसाद निवासीगण मनगवां 13. कौशल किशोर उर्फ जंगलिया पुत्र सुंदर लाल निवासी इटवा डुडैला थाना मारकुंडी जनपद के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(घ). प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री रवि प्रकाश द्वारा अभियुक्त 1.दुशासन पुत्र छोटे निवासी बरगढ़ 2.आनंद उर्फ भाऊ पुत्र आशुतोष निवासी कोठी कोलमजरा 3. भैयालाल पुत्र शंकरलाल निवासी लुढ़ौता कला 4. प्रकाश पुत्र दिलीप निवासी सेमरा 5. प्रभाकर पटेल पुत्र जितेंद्र निवासी मुर्का थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री संजय

उपाध्याय के मार्गदर्शन में वरि0उ0उ0नि0 श्री कृपा नंदन शर्मा तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त संता पुत्र भगवानदीन निवासी अमर ज्योति डफाई थाना भरतकूप को 10 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम एवं 272 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री कृपा नंदन शर्मा थाना भरतकूप
2.आरक्षी अमित कुमार

(6). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 13.04.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा आनन्दी माता मंदिर में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा काली माता मंदिर कर्वी में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम मुरका, मुजरा व अरवारी में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम रेरुवा भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा इलाहाबाद बैंक के आसपास एवं तुलसी मंदिर,देवी तिराहा आदि स्थानों पर, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा कस्बा मारकुंडी में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया। एण्टी रोमियों टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(7). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, क्षेत्राधिकारी मऊ व क्षेत्राधिकारी नगर/राजापुर के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों ने पुलिस टीम के साथ अपने-अपने क्षेत्र में पैदल गस्त/रूट मार्च एवं जनचौपाल कर ग्रामीणों से जनसंवाद कर निर्भीक एवं स्वतंत्र रूप से मतदान करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की गयी कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें, अवैध शराब का सेवन बिल्कुल न करें एवं अवैध कार्य करने वालों की सूचना पुलिस को दे।

(8). त्रिस्तरीयपंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनाँक-13.04.2021 को श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा थाना भरतकूप में श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर की उपस्थिति में समीक्षा गोष्ठी की गयी। समीक्षा गोष्ठी में महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप को निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

(i). संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील ग्रामों के असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये।

(ii). थाना क्षेत्र के समस्त हिस्ट्रीशीटरों की गोष्ठी कर उन्हे लाल कार्ड बांटे जाए।

(iii). थाना क्षेत्र में लगने वाले पिकेट के स्थानों को चिन्हित कर सूचना अविलम्ब चुनाव कार्यालय भेजे।

(iv). थाना क्षेत्र के जिस एरिया में मोबाइल नेटवर्क की समस्या हो वहां पर डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों के लिए हैंडसेट की व्यवस्था कराने हेतु निर्देश दिये ।

(v). चुनाव डियूटी में लगने वाले पुलिस बल के लिए लंच पैकेट समय से उपलब्ध कराने तथा शाम 04 बजे हल्का नाश्ता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये।

(vi). थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल करें तथा आदर्श आचार संहिता का पालन कराये।

(vii). चुनाव में बाहर से आने वाली फोर्स के रूकने वाले स्थानों की समीक्षा कर समुचित व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिये गये।

(viii). 10 साल के अपराधों से सम्बन्धित अपराधियों की समीक्षा कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(ix). अवैध शराब, अवैध शस्त्र, अवैध गांजा बेचने वालों पर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(x). थाना पर चुनाव के दृष्टिगत की गयी निरोधात्मक कार्यवाही की समीक्षा की गयी। ज्यादा से ज्यादा निरोधात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

समीक्षा गोष्ठी में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप, श्री दिनेश सिंह पीआरओ एवं थाना भरतकूप में नियुक्त उपनिरीक्षकगण एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(9). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनाँक-12.04.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री शैलेन्द्र कुमार राय अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी राजापुर एवं श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर की उपस्थिति में थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम चांदी एवं चिल्लीमल में प्रत्याशियों एवं ग्रामीणों के साथ गोष्ठी की गयी। इसी क्रम में श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम बम्भिया एवं ग्राम इटवां डुडैला में तथा श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा द्वारा ग्राम रूकमा बुजुर्ग में प्रत्याशियों के साथ तथा श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी द्वारा ग्राम बारामाफी एवं कादरगंज में तथा श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा द्वारा रैपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम बराछी, बिशौधा, रामपुर, घुनुवा में प्रत्याशियों एवं ग्रामीणों के साथ जनचौपाल की गयी। चौपाल के दौरान सभी प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करने हेतु बताते हुए मतदाताओं को किसी प्रकार का लोभ-प्रलोभन न देने, शराब, रुपया आदि का वितरण न करने के बारे में हिदायत दी गयी। मतदान व मतगणना के समय किसी के साथ कोई विवाद, धमकी तथा विजय जुलूस न निकालने हेतु हिदायत दी गयी। बिना किसी भेदभाव एवं पक्षपात के वोट डालने एवं पूर्णतः कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए मतदान संपन्न कराने हेतु पुलिस का सहयोग करने की अपील की गयी। ग्रामवासियों से अवैध शराब का सेवन न करने हेतु बताया गया तथा किसी भी प्रकार के अवैध कार्य की सूचना सम्बन्धित थाना को देने हेतु बताया गया। ग्राम के प्रमुख-प्रमुख स्थानों पर चुनाव सम्बन्धी जागरूकता ऑडियो बजाया गया तथा जनता को चुनाव के प्रति जागरूक किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाने, हाथों को समय-समय पर सेनेटाइज करने तथा सोशल डिस्टेन्सिंग बनाए रखने हेतु बताया गया।

(10). आज दिनाँक-13.04.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उपजिलाधिकारी राजापुर एवं श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर द्वारा थाना परिसर में रेड़ी(ठिलिया) सब्जी विक्रेता एवं अन्य दुकानदारों के साथ गोष्ठी कर आवश्यक निर्देश दिये। महोदय द्वारा सभी को निर्देश दिये कि कोई भी व्यापारी अपनी रेड़ी तथा सामान रोड पर नही लगाया न ही अतिक्रमण करेगा। यातायात व्यवस्था को समुचित बनाए रखने में सहयोग करें। क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत सभी दुकानदारों से

मास्क लगाने हेतु बताया तथा निर्देश दिये कि दुकान पर 05 से ज्यादा व्यक्ति को इकट्ठा न करें सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करें। बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामग्री बिल्कुल न दें।